

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

epaper.rashtradoot.com

**Snakes Can Also Be Cannibals**

While cannibalism is likely not very common in cobras, it could happen when two cobras that meet have a big difference in size

**Famous Cursed Families****Dongri To Dungaree****The Origin of Dungaree : An Indian Textile That Shaped Global Workwear**

# बुरी तरह निराश, “घायल” ट्रंप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का निर्णय लिया

**एसआई भर्ती परीक्षा 2025: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज****2019 के बाद, पहली बार, ईरान का ऑयल भारत आएगा****2019 में अमेरिका ने ईरान के ऑयल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मजबूरन भारत को भी ईरान के ऑयल की खरीद पर विराम लगाना पड़ा था**

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से हटने की बात कर रहे हैं। बुरी तरह दबाव में आए ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में शासन परिवर्तन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वे यह भी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध समाप्त करने पर जोर दे रहा है।

स्थिति को बिगाड़ने के बाद, ट्रंप को सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए वे यह बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, भले ही वे लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं हुए हैं।

लेकिन अमेरिका का अचानक पीछे हटना पूरी दुनिया को इसके परिणाम भ्रान्त के लिए छोड़ देगा। इस समय अमेरिका द्वारा युद्ध छोड़ने से ईरान पूरी तरह लाभ में रहेगा। होरमुज स्ट्रेट बंद ही रहेगा, और किसी भी स्थिति में ईरान के नियंत्रण में रहेगा, जबकि यह पहले एक खुला अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग था।

ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना भी जारी रख सकता

**पर, अचानक युद्ध भूमि छोड़ने से काफी विकट स्थिति बनती नज़र आ रही है**

- पूरा पश्चिम एशिया, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन शामिल हैं, पूरी तरह ईरान की दायर पर निर्भर हो जायेंगे। युद्ध के दौरान, ये देश जैसे ही ईरान से आतंकित थे और अब विजयी ईरान तो उनका जीना हराम कर देगा, यह इन देशों को भय सता रहा है।
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा और यह भी संभव है, ईरान, उन सभी जहाजों से चौथ वसूली (टोल टैक्स) वसूलने की परंपरा को स्थायी बनाना चाहेगा।
- ऑयल व गैस की कीमत बढ़ जाने का खामियाजा पूरा विश्व उठायेगा और सबसे ज्यादा वित्तीय नुकसान गरीब देशों को होगा।
- यह सब देखकर तो कई बार तो ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि छोड़ने की ट्रंप की घोषणा मात्र एक दिखावा है, कहीं यह ईरान की मुस्ती को कम करने और भुलावे में रखने की कोशिश मात्र तो नहीं है।

है, जो उसने अभी शुरू किया है। यह एक स्थायी नुकसान होगा।

तेल और गैस की आपूर्ति सीमित बनी रहेगी क्योंकि मिसाइल हमलों से इनकी सुविधाएँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन्हें ठीक करने और उत्पादन

क्षमता बहाल करने में काफी समय लगेगा। इससे यह भी हो सकता है कि इन्हें फिर से व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक निवेश कीमतों को स्थायी रूप से बढ़ा दे।

यह सब एक खराब तरीके से,

अचानक शुरू किए गए युद्ध का परिणाम है, जिसे एक आत्ममुग्ध राष्ट्रपति ने शुरू किया, जिसने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर एक कमजोर हमले के बाद खुद को सर्वशक्तिमान समझ लिया (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## प.बंगाल, तमिलनाडु, केरल व असम के चुनाव के दबाव में आई सरकार?

**दबाव के कारण सरकार ने वह संशोधन विधेयक पेश नहीं किया सदन में, जिससे सरकार को यह अधिकार मिल जाता कि वह विदेशी धन से भारत में निर्मित सम्पत्ति को अधिग्रहित कर सकती थी**

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। सरकार ने विवादास्पद विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक (फॉरेन कन्ट्रीव्यूशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल-एफसीआरए) पर पीछे हटने के संकेत दिए हैं, जिसके जरिए वह गैर-सरकारी संगठनों (नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन-एनजीओ) द्वारा विदेशी फंडिंग से बनायी गई परिस्पर्तियों पर नियंत्रण हासिल कर सकती थी। दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के विधानसभा चुनावों में विपक्ष का यह प्रचार जोर पकड़ रहा है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से एक विशेष समुदाय द्वारा संचालित और वित्तपोषित एनजीओ को

- केरल के मु.मंत्री पिनराई विजयन ने इस संशोधन विधेयक का भारी विरोध किया और प्र.मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश न करे।
- इस संशोधन विधेयक को अगर सदन में पारित कर दिया तो धार्मिक व अल्पसंख्यक वर्ग की सम्पत्तियों पर सरकार को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल जाएगा।
- केरल में इसाई धर्म के नेताओं व तमिलनाडु, असम व प.बंगाल में अन्य अल्पसंख्यक नेताओं ने यह काफी प्रचारित किया कि भाजपा अन्य समाज को पनपने नहीं देना चाहती।

निशाना बनाना चाहती है। बुधवार को चर्चा के लिए सूचीबद्ध यह विधेयक

लोकसभा में पेश नहीं किया गया। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

**छह वर्ष की बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास**

जयपुर, 1 अप्रैल। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर, प्रथम ने साढ़े छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बाद में उसका गला रेतकर हत्या करने वाले अभियुक्त सोनवीर उर्फ आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ

- घटना की रिपोर्ट प्रताप नगर थाने में 25 फरवरी 2025 को दर्ज हुई थी।

ही, अदालत ने 26 साल के इस अभियुक्त पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि इस अपराध में अभियुक्त को मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान है, लेकिन यह प्रकरण दुर्लभ प्रकृति का नहीं होने के कारण अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका के पिता ने 25 फरवरी, 2025 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## सहायक निदेशक विकास जैफ की प्रतिनियुक्ति के आदेश पर बवाल मचा

**बायोप्यूल प्राधिकरण के सीईओ द्वारा जारी आदेश को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने अवैध बताते हुए निरस्त किया**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 1 अप्रैल। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) विकास जैफ को बायोप्यूल प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तुरंत लगाने के आदेश को लेकर बवाल मच गया है। जहां कौशल नियोजन विभाग ने बायोप्यूल प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी नियुक्ति आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया है। वहीं विकास जैफ से भी 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

कौशल नियोजन विभाग का कहना है कि विकास जैफ और सुरेन्द्र सिंह राठौड़ दोनों ने ही इस नियुक्ति के संबंध में सक्षम स्तर से कोई मंजूरी नहीं ली थी। जबकि बायोप्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने जो नियुक्ति आदेश जारी किए थे,

- कौशल नियोजन विभाग ने विकास जैफ को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
- यह मामला संदिग्ध इसलिए लग रहा है, क्योंकि यह नियुक्ति आदेश पूर्व में 5 लाख रु. की रिश्वत लेने के आरोपी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा जारी किया गया था।
- हालांकि एक तथ्य यह भी है कि, आदेश में बायोप्यूल प्राधिकरण के सीईओ ने ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देशानुसार नियुक्ति देने का जिक्र किया।

उसमें ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देशों से नियुक्ति किए जाने का हवाला दिया गया था।

यह पूरा मामला संदिग्ध इसलिए भी लग रहा है कि, जिन सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने यह नियुक्ति आदेश जारी किए थे, वह 5 लाख रुपए रिश्वत लेते ट्रैप हो चुके हैं। उन्होंने एक प्रकरण में 20 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी, जबकि ट्रैप की कार्रवाई के दौरान एसीबी ने उनके घर की तलाशी ली थी तो 3.66

करोड़ रुपए बरामद हुए थे। मामले के तथ्यों के अनुसार 31 मार्च 2026 को बायोप्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने आदेश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यरत विकास जैफ को ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देशानुसार तत्काल

प्रभाव से संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है। जैफ स्वयं के विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) लेकर यह कार्यभार संभालेंगे।

ज्ञात रहे कि विकास जैफ फिलहाल राजस्थान औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान आमेट (राजसमंद) में कार्यरत हैं, उनके पास राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दौसा का अतिरिक्त चार्ज भी है। जैसे ही इस नियुक्ति की भनक कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग को लगी तो निदेशक (प्रशिक्षण) मनीश कुमार शर्मा ने इस नियुक्ति आदेश को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया। उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया कि, विकास जैफ और सुरेन्द्र सिंह राठौड़ दोनों ने ही इस नियुक्ति से पूर्व उनके विभाग से कोई स्वीकृति अथवा अनुमति नहीं ली। ऐसे में यह आदेश विभागीय नियमों के अनुरूप नहीं है।

वहीं दूसरी कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के वरिष्ठ शासन उप (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## अमरावती होगी आंध्र की नई राजधानी

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में अमरावती को मान्यता देने वाला विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया।

यह विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। जहां लगभग

- अमरावती को आंध्र की स्थायी राजधानी बनाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया।

सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने यह कहते हुए वॉकआउट किया कि इस (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## सरिस्का अभयारण्य के विस्तार के मुआवजे की आड़ में हुआ घोटाला उजागर

**हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केन्द्र व राज्य सरकार सहित आधा दर्जन पक्षकारों से जवाब मांगा**

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 1 अप्रैल। अलवर के सरिस्का अभयारण्य का दायरा बढ़ाने की आड़ में ग्रामीणों को मुआवजा देने और उन्हें पुनर्स्थापित करने में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में बनसुर तहसील के ग्राम गुढ़ा निवासी अशोक कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय शर्मा कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुणेन्द्र भाटी और विनोद कुमार माथुर की खंडपीठ ने आदेश दिए कि इस पूरी योजना के समस्त दस्तावेज कोर्ट में उपलब्ध करवाए जाएं कि इस मुआवजे के तौर पर किन-किन परिवारों

को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया था। साथ ही यह भी बताया जाए कि किस-किस व्यक्ति को कितनी भूमि, कहां पर आवंटित की गई थी। अदालत ने इस मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी (ए.टी.सी.ए.), वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, वन संरक्षक और जिला कलेक्टर समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद रखी गयी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने अदालत को बताया कि सरिस्का अभयारण्य के विस्तार के लिए वर्ष 2008 के प्लान के मुताबिक, अभयारण्य के आसपास

- अधिवक्ता अक्षय शर्मा का कहना है कि, याचिकाकर्ता के गांव नाथूसर में 13 ऐसे लोगों ने फर्जी मुआवजा उठा लिया, जो वहां के निवासी तक नहीं हैं।
- वन विभाग ने भी सितंबर 2024 में गुढ़ा भाकरवाल, रामपुर के ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब प्रकरण की जांच करवाई तो उपरोक्त 13 लोगों समेत कुल 18 लोगों का फर्जीवाड़ा सामने आया था

और उसके अंदर रह रहे लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए दो तरह के विकल्प अपनाए गए थे। इसमें पहला था कि प्रत्येक परिवार को 10 लाख रु. का मुआवजा दिया जाएगा, जो कि वर्ष 2021 में बढ़ाकर

15 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरा विकल्प था कि प्रभावितों को अन्यत्र जगह पर समान आकार की भूमि आवंटित की जाए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पहलीलदार, क्षेत्रीय वन अधिकारी और कलेक्टर की अध्यक्षता

में कमेटी भी बनाई गई थी, जिसने 7 से 10 जुलाई 2023 तक सर्वे किया था। इसके बाद एक सूची बनाई गई थी, जिसमें नाथूसर लॉज व अन्य गांव शामिल थे। इस सर्वे की सूची जारी होने के बाद, नाथूसर लॉज से कई ग्रामीणों ने अपील की थी कि 13 लोग (क्रमांक 210 से 222 तक) नाथूसर के निवासी नहीं थे। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को गुढ़ा भाकरवाल, रामपुर के कई ग्रामीणों ने वन संरक्षक और उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर वन विभाग द्वारा बनाई गई सूची की गड़बड़ियां बताई थीं। इसके बाद जब शिकायत की जांच की गई तो नाथूसर के ग्रामीणों द्वारा बताए गए 13 लोगों

समेत कुल 18 लोग ऐसे पाए गए, जिन्होंने फर्जी कागजात पेश करके फायदा उठाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 13 लोग तो सिर्फ एक ही गांव के निवासी हैं, अगर पूरी जांच की जाए तो अन्य कई लोग भी सामने आएंगे। उन्होंने यह तथ्य भी बताया कि इन 13 लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी, परंतु सर्वे की सूची में उन्हें दर्शाया गया, बाद में इन्होंने 13 लोगों ने मुआवजे का पैसा भी उठा लिया। पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केन्द्र व राज्य सरकार के साथ-साथ सभी पक्षकारों को जवाब के साथ तलब किया है।

## लिफ्टर पेस ने प्र.मंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिफ्टर पेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच खेल, युवाओं

- प्र.मंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि लिफ्टर पेस की टेनिस में उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है।

की भूमिका और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा, लिफ्टर पेस के साथ शानदार मुलाकात हुई। भारत को टेनिस में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई मुद्दों पर चर्चा (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

CMYK